

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (न०आ०)-02/2018 4451 /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, मुंगेर के अनुशांसा के आलोक में डा० श्यामल किशोर पाठक, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर के उपार्जित अवकाश अवधि में उनके स्थान पर डा० विद्यानन्द सिंह, अपर समाहर्ता, मुंगेर को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर का कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(जय प्रकाश मंडल)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (न०आ०)-02/2018 4451 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 14/8/18
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/डा० विद्यानन्द सिंह, अपर समाहर्ता, मुंगेर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.08.18
विशेष सचिव।